



राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर,

क्रमांक:-एफ 1 (1)मअ/भवन मरम्मत/2019  
अधिशाषी अभियंता,  
सार्वजनिक निर्माण विभाग,  
नगर खण्ड तृतीय, जयपुर।

दिनांक:-

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य निधि के अंतर्गत निदेशालय, म.अ. कार्यालय भवन में मंत्री महोदया के लिए कक्ष की मरम्मत एवं आवश्यक फर्नीचर आदि के लिए राशि के उपयोग हेतु आहरण वितरण अधिकारी घोषित करने की प्रशासनिक स्वीकृति बाबत।  
प्रसंग:-वित्त विभाग की स्वीकृति आई. डी. क्रमांक 161900066 दिनांक 30.01.2019

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य निधि मद के अंतर्गत निदेशालय, महिला अधिकारिता कार्यालय भवन में मंत्री महोदया के लिए कक्ष की मरम्मत एवं आवश्यक फर्नीचर आदि के उपयोग के लिए अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड तृतीय, जयपुर को राशि रु. 8.84 लाख (अक्षरे राशि रु. आठ लाख चौरासी हजार मात्र) के व्यय हेतु निम्न लेखाशीर्ष के अंतर्गत आहरण वितरण अधिकारी घोषित करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है:-

बजट मद -

- 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत व्यय
- 02- समाज कल्याण
- 103-महिला कल्याण
- 09- महिला स्वयं सहायता समूह भवन का निर्माण
- 00-
- 16-लघु निर्माण कार्य (आयोजना)

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी संख्या 161900066 दिनांक 30.01.2019 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। इस राशि के उपयोग हेतु RTPPA की पालना किया जाना सुनिश्चित करावे।

(पी.सी.पवन)  
निदेशक

महिला अधिकारिता विभाग  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ 1 (1)मअ/भवन मरम्मत/2019 4518-526  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 11/2/19

1. विशिष्ट सहायक, माननीया राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) म.बा.वि. राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), लेखा परीक्षा-प्रथम, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, मुख्यालय, राज., जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, राज., जयपुर।
7. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड तृतीय, जयपुर को उक्त वर्णित राशि की सीमा तक आहरण वितरण अधिकारी घोषित करने का श्रम करावे।
8. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज., जयपुर।
9. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार  
महिला अधिकारिता